

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उपरो सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक  
सर्व शिक्षा अभियान,  
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
समस्त जनपद,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि0का0/एसएसए/लाइब्रेरी/2503/2010-11 दिनांक: 10 अगस्त, 2010

**विषय: परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु लाइब्रेरी की पुस्तकों के लिये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 3000/- की दर से तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 10,000/- प्रति विद्यालय की दर से पुस्तकालय की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि निम्न विद्यालयों को दी जायेगी:

- परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण व नगर क्षेत्र के)।
- ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एक प्रांगण में संचालित हैं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को यह धनराशि निर्धारित दर से पृथक-पृथक दी जायेगी।
- पुस्तकालय की धनराशि उन नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनको टी0एल0ई0 मद में धनराशि दी गयी है, देय नहीं है।

तदनुसार उपर्युक्त श्रेणी के प्राथमिक विद्यालय को रू0 3000/- प्रति विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को रू0 10,000/- प्रति विद्यालय की दर से संलग्नक-1 के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही तत्काल अपेक्षित है:

- पुस्तकालय की स्थापना विकेन्द्रीकृत रूप से ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर क्षेत्र में वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी। अतः ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के खाते में निर्धारित दर से धनराशि विद्यालयों को भेजी जाये तथा इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्राप्त किया जाये।

(1)

- पुस्तकों का क्रय एन0बी0टी0, सी0बी0टी0, गीता प्रेस अथवा अन्य सरकारी प्रेस के माध्यम से किया जायेगा।
- क्रय की जाने वाली पुस्तकों का क्रय निम्न प्रस्तावानुसार किया जाये:

#### उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर

क्र0सं0	पुस्तकों का विवरण	कुल पुस्तकों का लगभग
1.	वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित पुस्तकें	20%
2.	हिन्दी कहानी की पुस्तकें	20%
3.	सामान्य ज्ञान	10%
4.	भारतीय गौरव और आदर्श पौराणिक कथायें/नैतिक पुस्तकें	10%
5.	देश व राज्य सम्बन्धी पुस्तकें	10%
6.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/व्यायाम	10%
7.	English Story Book	5%
8.	चित्रकथा	10%
9.	अन्य (ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्तावानुसार)	5%

#### प्राथमिक विद्यालय स्तर पर

क्र0सं0	पुस्तकों का विवरण	कुल पुस्तकों का लगभग
1.	वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित पुस्तकें	10%
2.	हिन्दी कहानी की पुस्तकें	25%
3.	सामान्य ज्ञान	10%
4.	भारतीय गौरव और आदर्श पौराणिक कथायें/नैतिक पुस्तकें	10%
5.	देश व राज्य सम्बन्धी पुस्तकें	10%
6.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/व्यायाम	10%
7.	चित्रकथा	20%
8.	अन्य (ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्तावानुसार)	5%

उपरोक्त प्रस्ताव सुझावात्मक हैं तथा ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति यदि इसके अतिरिक्त भी विद्यालय हेतु कुछ पुस्तकों को अधिक उपयोगी समझती है तो वह उसका क्रय कर सकती है।

#### पुस्तकों का रख-रखाव:

- (अ) **स्टॉक रजिस्टर:** स्टॉक रजिस्टर पर क्रय पुस्तकें अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। स्टॉक रजिस्टर का प्रारूप पर संलग्न है। (संलग्नक-2)
- (ब) **पुस्तकों के आगम-निर्गम पंजिका:** पुस्तकें आवंटित करने के सम्बन्ध में पुस्तकों के आगमन-निर्गमन पंजिका के रख-रखाव हेतु निर्देश दिये जाने आवश्यक हैं, जिससे

पुस्तकें छात्रों को आवंटित हों तथा उनका आदान-प्रदान छात्र-छात्राओं में किया जाये।  
आगमन निर्गमन पंजिका का प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-3)


पुस्तकों को रखने हेतु रैक का क्रय राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का०/एसएसए/मर०एवंरख०/1723/2010-11 दिनांक 30 जून, 2010 के क्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु विद्यालय विकास अनुदान मद से किये जाने के निर्देश हैं। उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु भी रैक का क्रय आवश्यकतानुसार विद्यालय विकास अनुदान मद में दी गयी धनराशि से किया जाये।

पुस्तकालय स्थापना का कार्य तत्काल ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा कराया जाना है, जिससे वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग इसी वर्ष में सुनिश्चित किया जा सके तथा बच्चों को पुस्तकालय का लाभ वर्ष 2010-11 के शैक्षिक सत्र में प्राप्त हो सके।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा लाइब्रेरी स्थापना की प्रगति प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध करायें।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,




(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: नि०का०/एसएसए/लाइब्रेरी/2503 /2010-11 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

  
(ममता श्रीवास्तव)  
अपर परियोजना निदेशक

## CIVIL WORK - Targets &amp; Release For Library in PS &amp; UPS - 2010-11

21/11/11

District	Library in PS (Parishadiya)		Library in UPS (Parishadiya)		Total Amount To Be Released (Rs. in Lacs)
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	2	3	4	5	6
1-Agra	1844	55.32	740	74.00	129.32
2-Aliqarh	1667	50.01	728	72.80	122.81
3-Allahabad	2365	70.95	981	98.10	169.05
4-Ambedkar Nagar	1264	37.92	492	49.20	87.12
5-Auraiya	1018	30.54	454	45.40	75.94
6-Azamgarh	2090	62.7	940	94.00	156.70
7-Badaun(A)	2081	62.43	714	71.40	133.83
8-Baghpat(A)	483	14.49	176	17.60	32.09
9-Baharaich	2206	66.18	908	90.80	156.98
10-Balia	1853	55.59	560	56.00	111.59
11-Balrampur(A)	1208	36.24	643	64.30	100.54
12-Banda	1319	39.57	609	60.90	100.47
13-Barabanki	1915	57.45	724	72.40	129.85
14-Bareilly(A)	1961	58.83	639	63.90	122.73
15-Basti	1544	46.32	593	59.30	105.62
16-Bhadohi	642	19.26	365	36.50	55.76
17-Bijnor	1759	52.77	733	73.30	126.07
18-Buland Shahar	1650	49.5	730	73.00	122.50
19-Chandauli	977	29.31	461	46.10	75.41
20-Chitrakoot	879	26.37	425	42.50	68.87
21-Deoria	1674	50.22	715	71.50	121.72
22-Etah	1171	35.13	507	50.70	85.83
23-Etawah	1187	35.61	535	53.50	89.11
24-Faizabad	1346	40.38	557	55.70	96.08
25-Farrukhabad	1152	34.56	557	55.70	90.26
26-Fatehpur	1692	50.76	643	64.30	115.06
27-Firozabad(B)	1357	40.71	576	57.60	98.31
28-GBNagar	463	13.89	208	20.80	34.69
29-Ghaziabad	830	24.9	388	38.80	63.70
30-Ghazipur	1708	51.24	728	72.80	124.04
31-Gonda	1848	55.44	859	85.90	141.34
32-Gorakhpur(B)	2034	61.02	809	80.90	141.92
33-Hamirpur	790	23.7	364	36.40	60.10
34-Hardoi(A)	2497	74.91	939	93.90	168.81
35-Hathrus	945	28.35	432	43.20	71.55
36-Jalaun	1244	37.32	549	54.90	92.22
37-Jaunpur(B)	2238	67.14	828	82.80	149.94
38-Jhansi	1161	34.83	501	50.10	84.93
39-JPNagar	1044	31.32	414	41.40	72.72
40-Kannauj	1034	31.02	406	40.60	71.62
41-KanpurDehat	1557	46.71	633	63.30	110.01
42-KanpurNagar	1616	48.48	593	59.30	107.78
43-KanshiramNagar	903	27.09	432	43.20	70.29
44-Kaushambi	880	26.4	470	47.00	73.40
45-Kushinagar (B)	1777	53.31	744	74.40	127.71
46-Lakhimpur	2340	70.2	1113	111.30	181.50
47-Lalitpur(A)	914	27.42	480	48.00	75.42
48-Lucknow	1374	41.22	461	46.10	87.32
49-Maharajganj	1270	38.1	610	61.00	99.10
50-Mahoba	657	19.71	347	34.70	54.41
51-Mainpuri	1481	44.43	523	52.30	96.73
52-Mathura (B)	1235	37.05	566	56.60	93.65
53-Mau	1027	30.81	417	41.70	72.51
54-Meerut	964	28.92	433	43.30	72.22
55-Mirzapur	1481	44.43	543	54.30	98.73
56-Moradabad(A)	1954	58.62	814	81.40	140.02
57-Muzaffar Nagar	1397	41.91	595	59.50	101.41
58-Pilibhit	1193	35.79	537	53.70	89.49
59-Pratapgarh	1738	52.14	569	56.90	109.04
60-RaiBareilly(A)	1784	53.52	610	61.00	114.52
61-Rampur	1274	38.22	550	55.00	93.22
62-Saharanpur	1287	38.61	554	55.40	94.01
63-SKNagar	1000	30	392	39.20	69.20
64-Shahjahanpur (B)	2163	64.89	786	78.60	143.49
65-SiddharthNagar(A)	1506	45.18	695	69.50	114.68
66-Sitapur	2589	77.67	1040	104.00	181.67
67-Sonebhadra	1295	38.85	545	54.50	93.35
68-Srawasti(A)	799	23.97	364	36.40	60.37
69-Sultanpur	2245	67.35	838	83.80	151.15
70-Unnao	2020	60.6	728	72.80	133.40
71-Varanasi (B)	1032	30.96	352	35.20	66.16
<b>TOTAL</b>	<b>102892</b>	<b>3086.760</b>	<b>42464</b>	<b>4246.40</b>	<b>7333.16</b>

④ (4)

स्टाक रजिस्टर (संभार पंजिका)

(नाम).....प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

पुस्तक क्रम संख्या	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य (रुपये में)	प्रकाशक/वितरक विवरण		प्रकाशक का नाम/पता	टिप्पणी
				संख्या	दिनांक		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.


सालानव - 3

पुस्तक आगम-निर्गम पंजिका

(नाम).....प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०सं०	पुस्तक क्रम संख्या	पुस्तक का नाम	पुस्तक लेखक का नाम	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी की कक्षा	पुस्तक निर्गम दिनांक	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	पुस्तक आगम दिनांक	हस्ताक्षर	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.





# सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक  
राज्य परियोजना कार्यालय,  
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
सर्व शिक्षा अभियान,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि0का10/एसएसए/बजट/2480/2010-11 दिनांक: 10 अगस्त, 2010

**विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु जनपदों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, शौचालय तथा पेयजल व्यवस्था हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-1 में अंकित है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 50: धनराशि तथा शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण धनराशि संलग्नक-1 के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त निर्माण कार्यों की इकाई लागत निम्नवत् है:

**(क) उच्च प्राथमिक विद्यालय**

(i) मैदानी क्षेत्र में

रु0 8.82688 लाख (जिसमें रु0 7.49 लाख विद्यालय भवन तथा रु0 0.24 लाख शौचालय, रु0 0.32 लाख हैण्डपम्प, रु0 0.60 लाख रसोईघर तथा रु0 0.17688 लाख विद्युतीकरण हेतु)

(ii) पठारी क्षेत्र में

रु0 9.00088 लाख ( जिसमें रु0 7.49 लाख विद्यालय भवन तथा रु0 0.24 लाख शौचालय, रु0 0.494 लाख हैण्डपम्प, रु0 0.60 लाख रसोईघर तथा रु0 0.17688 लाख विद्युतीकरण हेतु)

(ख) शौचालय

रु0 0.240 लाख

(ग) पेयजल

(i) मैदानी क्षेत्र में

रु0 0.320 लाख

(ii) पठारी क्षेत्र में

रु0 0.425 लाख

- उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन गत वर्ष के डिजाइन के अनुसार ही स्वीकृत इकाई लागत में बनवाये जायेंगे।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय के साथ मूत्रालय का निर्माण भी कराया जायेगा तथा शौचालय में टाइल्स की व्यवस्था भी की जायेगी, जिसके लिये डिजाइन वर्ष 2007-08 में उपलब्ध कराया गया है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य को तत्काल प्रारम्भ कराया जाये तथा हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य भी साथ-साथ ही कराया जाये जिससे निर्माण कार्य में पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- पेयजल व शौचालय निर्माण के लक्ष्य की स्वीकृति केवल शहरी क्षेत्रों हेतु दी गयी है। स्वीकृत सभी शौचालयों का निर्माण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना है। पेयजल व्यवस्था जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के स्तर से कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराते हुए कराया जाना है।
- यह ध्यान रखा जाये कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य भूकम्परोधी प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा। भवन में निर्माण की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की हो तथा प्रत्येक भवन के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निर्माण प्रभारी व जिला समन्वयक(निर्माण) का होगा।
- नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में प्राथमिक विद्यालय के अपग्रेडेशन के रूप में निर्मित कराये जाने हैं।

नवीन नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु बस्तियों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति से कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार विद्यालयों का चयन कर ग्राम शिक्षा समिति का खाता खुलवाकर खाता में 50% धनराशि हस्तान्तरित कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व प्रत्येक वार्ड/ग्राम शिक्षा समिति विशेष रूप से वार्ड के सभासद/ग्राम प्रधान व निर्माण कार्य प्रभारी को निर्माण कार्य मार्गनिर्देशिका के आधार पर साईट पंजिका तथा अन्य अभिलेख रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाये। निर्देशिका के आधार पर भूकम्परोधी निर्माण कार्य हेतु निर्माण प्रभारी को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाये। उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन डिजाइन के मैनुअल की प्रतियां एवं सी0डी0 जनपद को गत वर्ष में उपलब्ध करायी जा चुकी हैं, उन्हीं मैनुअल की छायाप्रति कराकर प्रत्येक निर्माण स्थल एवं ग्राम प्रधान के पास अवश्य उपलब्ध करायी जाये। निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जाना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है।

भवन के निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 389/15-5-2002-31/2002 दिनांक 20 मार्च, 2002 तथा शासनादेश संख्या 2085/79-5-2004-31/2002 दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं का नामांकन कराकर कार्यवाही की जानी है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण जिला समन्वयक(निर्माण), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये। प्रत्येक माह जिला समन्वयक(निर्माण) प्रत्येक विद्यालय के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को



उपलब्ध करायेंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि निर्माण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा गति आदि पर यथोचित अभ्युक्ति सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के पास रखी जाये।


नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रारम्भ कराया जाये। विद्यालय संचालन तथा भवन निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाये। एक निर्माण प्रभारी को केवल एक ही विद्यालय भवन के निर्माण का दायित्व सौपा जाये। प्रधानाध्यापक/अध्यापक, जो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव हैं, निर्माण कार्य पारदर्शिता के साथ विशिष्टियों के अनुरूप सम्पन्न करायेंगे। वह अपने शिक्षण कार्य के साथ-साथ यह कार्य सम्पन्न करायेंगे।

हैण्डपम्प अधिष्ठापन की धनराशि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण करते हुए इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जाये। Centage Charges अनुमन्य नहीं है। विशिष्टियां एवं मानक उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्थापित किये जा रहे हैण्डपम्पों से कम नहीं होने चाहिये।

उपरोक्त निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या आगामी मासिक समीक्षा बैठक में नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र पर अलग से उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,



(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/बजट/2488 /2010-11 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी समय-समय पर भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने का कष्ट करें।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(एसएसए), राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

mm1  
(ममता श्रीवास्तव)  
अपर परियोजना निदेशक

